परिशिष्ट प्रपत्र पत्र संख्या———————

प्रपत्र – ख

नियम 6 (2) देखिये

संख्या: [illegible] दिनांक [illegible]

अधिसूचना के परिशिष्ट का प्रपत्र-ख
( अधिनियम संख्या 21 , 2002 के अधीन )

परिशिष्ट संख्या [illegible] अधिसूचना संख्या [illegible] दिनांक [illegible]

यह सूचना प्रकाशित किया जाता है कि [illegible]

मुआवजा : [illegible] रु0

जिस भूमि परिशिष्ट प्रपत्र-ग [illegible] दिनांक [illegible] को दिनांक [illegible] को प्रपत्र घ की धारा के लिए अधिसूचित किया गया है ।

[illegible] अधिनियम के परिशिष्ट पत्रित अधिसूचना द्वारा में प्रकाशित की गयी है ।

[illegible]

जारी करने का दिनांक [illegible]

[illegible]